कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बालोद(छ.ग.)

फैक्स–07749–223905 टोल फ्री –07749–223750 Email- deobalod24@gmail.com

// विज्ञापन //

क्र./408/निर्वा.कार्य/वि.स.चु/2023 बालोद, दिनांक 07/06/2023

छ.ग. शासन विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग के पत्र क्र.241/स्था./वि.स.नि./2023/1649 रायपुर, दिनांक 11.05.2023 अनुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अतिरिक्त कार्य के संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय एवं रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के लिए सारणी के कॉलम क्रमांक 3 में अंकित किये गये अस्थायी पदों हेतु दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक की अवधि के लिए निम्नानुसार पदों की स्वीकृति अनुसार पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

पात्र आवेदक जिले के वेबसाईट https://balod.gov.in/ पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 08.06.2023 से दिनांक 15.06.2023 शाम 5:30 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

1. सहायक ग्रेड 3 (संविदा) :– दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक (छः माह) के लिए

क्रमांक	श्रेणी/वर्ग	श्रेणी/वर्गवार पद संख्या				योग	एकमुश्त मासिक मानदेय
		मुक्त	महिला	निःशक्तजन	भूतपूर्व सैनिक		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनारक्षित	02	–	–	–	02	14200/–
2.	अ.जा.	–	–	–	–	00	
3.	अ.ज.जा.	02	–	–	–	02	
4.	अ.पि.व.	01	–	–	–	01	
योग :–		05	–	–	–	05	–

2. भृत्य (कलेक्टर दर) :– दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक (छः माह) के लिए

क्रमांक	श्रेणी/वर्ग	श्रेणी/वर्गवार पद संख्या				योग	एकमुश्त मासिक मानदेय
		मुक्त	महिला	निःशक्तजन	भूतपूर्व सैनिक		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनारक्षित	02	–	–	–	02	कलेक्टर दर
2.	अ.जा.	–	–	–	–	00	
3.	अ.ज.जा.	02	–	–	–	02	
4.	अ.पि.व.	01	–	–	–	01	
योग :–		05	–	–	–	05	–

–: शैक्षणिक अर्हताएं :–

सहायक ग्रेड–3 (संविदा) पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :–

1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

   अथवा

   पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र

   तथा
3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी।)

भृत्य (संविदा) पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :–

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

मासिक मानदेय :–

उपर्युक्त तालिका के कॉलम नं. 8 में उल्लेखित राशि प्रतिमाह भुगतान होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूरक भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

आयु सीमा :–

उपरोक्त सभी संवर्गीय पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत सभी छुटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की अधिकतम सीमा वर्गवार शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत होगी।

नियम एवं शर्ते :–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के दायर याचिका क. एस.एल.पी.(सी) क्रमांक–19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णता अस्थायी है। जोकि नियुक्ति दिनांक से प्रारंभ होकर दिनांक 30.11.2023 तक स्वयमेव समाप्त हो जायेगी, जिसके लिए पृथक से आदेश जारी नहीं किया जावेगा।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
5. आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
6. आवेदक विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तो को पुरा करने की स्थिति में पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें। कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन में किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना दिये उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।
7. चयनित अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय में सेवारत है, उन्हें नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. प्रावीण्य सूची में दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ज्यादा आयु के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
9. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
10. अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद पर होने के पश्चात् वह नियमितीकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
11. संविदा नियुक्ति के विरूद्ध दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित समय/पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगा।
13. यदि पूर्णांक/प्राप्तांक की जगह ग्रेड पद्धति से अगर मूल्यांकन किया गया है तब जिस संस्था/स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। उस संस्था प्रमुख से उक्त ग्रेड को पूर्णांक/प्राप्तांक एवं प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नियुक्ति के लिए अपात्रता :–

1. कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा।
2. कोई भी उम्मीद्वार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
3. कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले की एक पत्नी जीवित हों। किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र होगा/नहीं होगा।
4. किसी भी उम्मीदवार की सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक उसे ऐसे स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए। (कर्तव्य पर उपस्थिति देने की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
5. कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद जैसे कि आवश्यकता समझी जाए, नियुक्त प्राधिकारी को इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

चयन प्रकिया :–

1. उपरोक्त पदों की भर्ती हेतु उम्मीद्वारों से दिनांक 15.06.2023 शाम 5:30 बजे तक ऑनलाईन आवेदन www.balod.gov.in में कर सकेंगे।
2. प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी/जांच कर पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की दावा–आपत्ति की सूची पदवार जिले के वेबसाईट में एवं कार्यालय के सूचना पटल पर दिनांक 20.06.2023 को चस्पा किया जावेगा तथा मेरिट के आधार पर नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को 1:6 में आगामी तिथि को कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आहुत किया जायेगा। जिसकी सूची एवं सूचना जिले के वेबसाईट/कार्यालय के सूचना पटल में दिनांक 21.06.2023 को अपलोड एवं चस्पा कर दिया जायेगा। पृथक से पत्राचार नहीं किया जायेगा।
3. वरीयता सूची में मेरिट क्रम आधार पर चयनित अभ्यर्थी की सूची कार्यालयीन सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट में 26.06.2023 उपलब्ध कराई जायेगी।
4. आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में निर्धारित तिथि परिवर्तनीय है।
5. सहायक ग्रेड–3 के पदों के लिए 60 अंक शैक्षणिक योग्यता, 20 अंक दक्षता/कौशल परीक्षा तथा निर्वाचन कार्य में कार्य अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 04 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक (05 वर्षो तक के लिए दिया जायेगा)
6. भृत्य पद के लिए अर्हकारी परीक्षा में पूर्णाक/प्राप्तांक के आधार पर 80 अंक शैक्षणिक योग्यता तथा निर्वाचन कार्य में कार्य अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 04 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक (05 वर्षो तक के लिए दिया जायेगा)।
7. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति को होगा।

(कले.एवं जि.निर्वा.अधि. महोदय द्वारा अनुमोदित)

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
वास्ते, जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–बालोद (छ.ग.)

जिला निर्वाचन कार्यालय बालोद हेतु सहायक ग्रेड–3 (संविदा) एवं भृत्य (कलेक्टर दर) के पद की चयन प्रक्रिया कार्यक्रम :–

क्रमांक	विवरण	तिथि व समय
1	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	15-06-2023
2	आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी / जांच	17-06-2023
3	दावा–आपत्तियों का प्रारंभिक प्रकाशन	19-06-2023
4	दावा–आपत्तियों पर सुनवाई	20-06-2023
5	वरीयता सूची	21-06-2023
6	कौशल परीक्षा	23-06-2023
7	प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन	26-06-2023
8	अंतिम चयन सूची	26-06-2023